जिला कलेक्टर ... बारां

सरकार बनाम - आसिफ खां

किस्म मुकदमा प्रा०प० बाबत सुपुर्दगीनामा नम्बर 15/22 सन

राज० गोवंश पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधि० 1995

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/6/22	प्रार्थी आसीफ खान पुत्र अब्दुल सलीम जाति मुसलमान नि० अनन्तपुरा राजपूत कॉलोनी कोटा जिला कोटा द्वारा जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र बाबत सुपुर्दगी वाहन कार नं. आर० जे० 20 सी ए 8532 राज० गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत पेश किया। ए. पी. पी. के माध्यम से केस डायरी थाना सदर बारां से तलब की गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे।	
	केस डायरी प्राप्त होने पर अभिभाषक प्रार्थी एवं सहायक लोक अभि० की बहस सुनी गयी।	
	अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त अधिनियम के तहत थाना बारां सदर द्वारा प्रार्थी का वाहन कार नं. RJ20 सी ए 8532 को जब्त किया है जो थाना बारां सदर में खड़ा है। प्रकरण में थाना बारां सदर द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर लिया है उक्त थाना बारां सदर को [illegible] (ए.पी.पी.) हेतु कायमी [illegible] का प्रार्थी [illegible] वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने हेतु सक्षम व्यक्ति है तथा जमानत नामा व सुपुर्दगीनामा पेश करने को तैयार है यदि ज्यादा समय तक उक्त वाहन थाना बारां सदर में खड़ा रहा तो उसमें	

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.07.05 16:29:25 IST
Reason: SelfAttested

खराब हो जाने की पूर्ण संभावना है। अतः उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश फरमावें।

ए.पी.पी. ने दौराने बहस तथ्यात्मक रिपोर्ट थानाधिकारी, थाना बारां सदर का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि प्रकरण हाजा में एक व्यक्ति आशिक खान पुत्र छेनू खां मुसलमान निवासी स्वरूपगंज जिला श्योपुर (म.प्र.) बाद हरण के गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा है। प्रकरण हाजा में वांछित मुलजिम आशिक खान की तलाश जारी है। प्रकरण हाजा में जब्तशुदा कार आरजे 20 सी.ए. 8532 की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट थाना बारां सदर शा.प. रहे।

हमने बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली, केस डायरी तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट थानाधिकारी थाना सदर का अवलोकन किया।

चूंकि प्रकरण में वांछित मुलजिम आशिक खान लम्बे समय से फरार चल रहा है तथा यदि जब्तशुदा कार आरजे 20 सी.ए. 8532 को प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिया जाता है तो वांछित मुलजिम आशिक खान के गिरफ्तार हो पाने की संभावनाएं काफी क्षीण हो जायेगी ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज किया जाता [illegible] थानाधिकारी थाना बारां [illegible] कमल कुमार [illegible] से करावें बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ट हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.07.05 16:29:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)